

मुख्य अभियंता दक्षिण का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-18/आउटलेट-10/2022

पटना, दिनांक:-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता दक्षिण
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवामें,

अधीक्षण अभियंता
पथ निर्माण विभाग,
मगध पथ अंचल, गया।

विषय:

पथ प्रमंडल सं०-1, गया अन्तर्गत मौजा-अईमा, खाता सं०-141, खेसरा सं०-223 थाना सं०-94 (खिजरसराय), जिला-गया पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा (MS/HSD) रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-962 (अनु०) दिनांक-31.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पथ प्रमंडल सं०-1, गया अन्तर्गत मौजा-अईमा, खाता सं०-141, खेसरा सं०-223 थाना सं०-94 (खिजरसराय), जिला-गया पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा (MS/HSD) रिटेल आउटलेट स्थापित करने के निमित्त पथ निर्माण विभाग की जमीन को पहुंच पथ के रूप में विकसित कर उपयोग करने हेतु निम्न शर्तों के साथ 5 वर्षों के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है :-

- 1) विभागीय पत्रांक-4770 (E) दिनांक-24.08.2017 एवं 7661(E) दिनांक-23.12.2015 तथा विभागीय ज्ञापांक-8283(S) दिनांक-13.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने स्तर से भी जाँच कर ली जाय।
 - 2) 5-5 वर्षों के अन्तराल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण हेतु विभागीय संकल्प सं०-1921(S) दिनांक-08.03.2018 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
 - 3) रिटेल आउटलेट की स्थापना मानक तथा अनुमोदित नक्शे के अनुरूप किये जाने की सूचना मुख्यालय को यथाशीघ्र देंगे। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में स्थानीय प्रशासन एवं ऑयल कम्पनी तथा इस विभाग को अवश्य सूचित करेंगे।
- अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य अभियंता, दक्षिण
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2230

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं०-1, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि स्वीकृत नक्शा एवं मानक के अनुरूप निर्माण तथा Road Safety सुनिश्चित कराकर प्रतिवेदन दी जाय।

पटना, दिनांक- 06/09/2022

मुख्य अभियंता, दक्षिण

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।